

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 197 / 2009 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 24-08-2009

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
मौ जिला भिण्ड म0प्र0।

.....अभियोजन

बनाम

हाकिमसिंह उर्फ हाकिम पुत्र गोकुलसिंह
निवासी द्वारिका पुरी मौ जिला भिण्ड म.प्र.।
.....बाल अपचारी घोषित होने से कशोर
न्यायबोर्ड भिण्ड भेजा गया।

1. गोकुल सिंह पुत्र महाराजसिंह उम्र 54 वर्ष।
2. करनसिंह पुत्र महाराजसिंह उम्र 45 वर्ष।
समस्त निवासी द्वारिकापुरा कस्बा मौ, जिला
भिण्ड म0प्र0
3. रामकुंवर पत्नी रामनाथ, उम्र 55 वर्ष। निवासी
ग्राम कुरैठ जिला इटावा उत्तर प्रदेश।

.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री मनीष शर्मा
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्रं0. 228 / 2009 इ0फौ0
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 197 / 2009

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्तगण द्वारा श्री के0के0पचौरी अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 23-11-2016 को घोषित किया गया//

01. वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण गोकुलसिंह, करनसिंह व रामकुंवर

का विचारण धारा 201 भा0दं0वि0 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 23.01.2009 को सुबह 09 बजे या उसके लगभग द्वारिका पुरी मौ से उनके द्वारा यह जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि व्यपहृता जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की थी उसके पिता मुरारीलाल की विधिपूर्ण संरक्षिता से बहलाफुसलाकर तथा अयुक्त संभोग करने या विवाह करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के लिए या इस हेतु उत्प्रेरित करने हेतु जो कि क्रमशः 7 वर्ष व 10 वर्ष से दण्डनीय है, उक्त अपराध की साक्ष्य विलोपित करने के आशय से व्यपहृता से इस आशय का पत्र लिखवाकर कि वह हाकिम को प्यार करती है और शादी करना चाहती है जिससे कि हाकिमसिंह वैधदण्ड से प्रतिष्ठादित हो सके।

02. यह अविवादित है कि प्रकरण के मूल आरोपी हाकिमसिंह को बाल अपचारी घोषित किए जाने के कारण उसे विचारण हेतु किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड भेजा गया है।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 24.01.2009 को फरियादी मनोज जो कि द्वारिका पुरी मौ में रहता है, के द्वारा थाना मौ में इस आशय की रिपोर्ट की, कि उसकी बहन/अभियोक्त्री के दिनांक 23.01.2009 को ट्यूशन पर गई थी जो शाम तक घर पर नहीं पहुँची तब उसकी तलाश करने पर पता चला कि उसके पड़ोस का लडका हाकिमसिंह जाटव भी उसी समय से गायब है और उसके पिता ने बताया था कि उसका लडका मोटरसाइकिल अपने मामा तहसीलदार के यहाँ भिण्ड में रखकर चला गया है वह भी गायब है। उसने यह भी बताया कि लडकी व उसका लडका एक साथ गायब हुए हैं। हाकिमसिंह का उसके घर पर आना जाना है। अपहृता घटना के समय 18 वर्ष से कम की होकर नावालिग होने के संबंध में प्रमाण पेश करते हुए उसके द्वारा पीडिता के अपहरण की आशंका हाकिम पर होना बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई।

04. उक्त रिपोर्ट पर से हाकिम के विरुद्ध अप0क्रं0 19/2009 धारा 363, 366 भा. दं.वि का पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना की गई। दौरान विवेचना दिनांक 27.01.2009 को अपहृता की दस्तयाबी की गई। पीडिता से एक थैला एवं उसके एवं आरोपी के कपड़े, जिनमें एक साडी फिरोजी रंग की, एक सॉल लाल रंग का, दो विछिया चांदी जैसे, एक ड्राम वॉक्स (पेन पेंसिल आदि सामान रखने का पात्र), एक रफ कॉपी जिस पर पीडिता का नाम लिखा हुआ था, एक तख्ती (पैड) की जप्ती की गई। अपहृता का मेडीकल परीक्षण कराया गया। अपहृता का धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन लेखबद्ध किया गया, जिस पर से धारा 376, 341, 506बी भा.दं.वि का इजाफा किया गया। अपहृता को उसके माता पिता को सुपुर्दगी में दिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की गई उसका भी मेडीकल परीक्षण कराया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। जप्तशुदा कपड़ों, स्लाइड व पदार्थ

परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी हाकिम के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

05. प्रकरण में हाकिम के विचारण के संबंध में साक्ष्य लेखबद्ध किया गया। साक्ष्य के दौरान यह साक्ष्य आई है कि वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण करनसिंह, गोकुलसिंह एवं आरोपिया रामकुंवर के द्वारा घटना से संबंधित साक्ष्य को बिलोपित करने के उद्देश्य से इटावा स्थित हाकिम की मौसी रामकुंवर के घर अभियोक्त्री से गलत रूप से इस आशय के पत्र लिखवाए गए कि वह हाकिम से शादी करना चाहती है और उससे प्यार करती है तथा हाकिम ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया और जो कुछ भी हुआ व उसकी राजी मर्जी से हुआ है और हाकिम की मौसी ने उसे दुल्हन के कपड़े पहनने हेतु जबरन मजबूर किया था और विछिया पहनाकर मांग भरी थी। उक्त सभी कृत्य उसे धमकी देकर जबरदस्ती कराया गया। प्रकरण में न्यायालय में आई हुई उक्त साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के द्वारा धारा 319 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत उक्त आरोपीगण गोकुलसिंह, करनसिंह व रामकुंवर के विरुद्ध धारा 201 भा.दं.वि का संज्ञान लिया गया और उन्हें न्यायालय में तलब किया गया।

06. विचारित किए जा रहे आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 201 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

07. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित करते हुए व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री के द्वारा पुलिस एवं अपने परिवार वालों के डर के कारण उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में बचाव साक्षी मेवाराम ब0सा0 1 व काशीराम ब0सा0 2 का कथन कराया गया है।

08. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 23.01.2009 को या उसके लगभग आरोपीगण के द्वारा यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि व्यपहृता के व्यपहरण और उसे अयुक्त संभोग करने अथवा विवाह हेतु विवश या बिलुब्ध करने की घटना हाकिम के द्वारा की गई है उक्त घटना के संबंध में साक्ष्य का विलोपन किया गया?
2. क्या इस प्रकार साक्ष्य विलोपन हाकिम को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय

से किया गया?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1, 2 :-

09. धारा 201 भा0द0वि0 जो कि अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इतिल्ला देने के संबंध में प्रावधान करती है। उक्त धारा की प्रभावशीलता के हेतु यह आवश्यक है कि— (1) कोई अपराध किया गया हो। (2) आरोपी यह जानता हो या विश्वास रखता हो कि ऐसा अपराध किया गया है। (3) आरोपी के द्वारा इस प्रकार की साक्ष्य बनाई गई हो जिससे कि वह असत्य होना जानता हो। (4) आरोपी के द्वारा उक्त कृत्य इस आशय से किया गया हो कि मुख्य आरोपी को दण्ड से प्रतिच्छादित किया जा सके।

10. वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में अभियोजन के द्वारा यह बताया जा रहा है कि हाकिमसिंह के द्वारा नावालिग का व्यपहरण किया गया है और उसे विवाह करने के लिए विवश करने या अयुक्त संभोग करने हेतु विवश या बिलुब्ध करने हेतु ले जाया गया था और वर्तमान आरोपीगण जो कि हाकिमसिंह के पिता, चाचा व मौसी हैं के द्वारा व्यपहृता से इस आशय के लेटर लिखाकर के कि वह अपनी इच्छा से हाकिम के साथ गई हैं और हाकिम से प्यार कर उससे शादी करना चाहती हैं और उसके साथ हाकिम के द्वारा कोई कृत्य नहीं किया गया है जो कि हाकिम को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित किया जा सके इस आशय से उनके द्वारा उक्त कार्य किया गया।

11. घटना के रिपोर्टकर्ता मनोज अ0सा0 2 जो कि पीडिता का भाई है के द्वारा यह बताया गया है कि उसकी बहन/अपहृता दिनांक 23.01.2009 को सुबह नौ बजे घर से ट्यूशन पढ़ने हेतु गई थी और वहाँ से बापस नहीं आई। उसके बापस न लौटने के कारण वह ट्यूशन वाले सर के पास भी गया था उन्होंने बताया कि वह ट्यूशन पढ़ने नहीं आई थी और उसकी तलाश भी की थी। हाकिम जो कि उनका पड़ोस का रहने वाला है वहाँ पूछताछ की तो वह नहीं मिला था, उसके पिता गोकुल मिले थे उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उनका लडका भी सुबह से गुम गया है बापस नहीं आया है तो उन्होंने आरोपी के पिता से कहा था कि लडकी को ढूँढ़वा दो, उन्होंने कहा कि रिस्तेदार को फोन लगाता हूँ। फिर उसके पिता ने भिण्ड रिस्तारद को फोन लगाया तो पता चला कि आरोपी हाकिम मोटरसाइकिल उनके यहाँ रख गया है और वह गायब है। इस पर हाकिम के पिता आरोपी गोकुल ने बताया कि हाकिम अभियोक्त्री को ले गया है। उसके पश्चात् दूसरे दिन उसने थाना मौ में इस संबंध

में रिपोर्ट लिखाई थी जो रिपोर्ट प्र.पी. 2 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 27.01.009 को पीडिता बापस आई थी और उसने बताया था कि हाकिम उसे जबरदस्ती जान से मारने की धमकी देकर ले गया था।

12. उपरोक्त संबंध में अन्य अभियोजन साक्षी छविराम अ0सा0 3 के द्वारा भी साक्षी मनोज के समान कथन करते हुए मनोज के साथ इस संबंध में रिपोर्ट करने जाना बताया है और यह भी बताया है कि पुलिस मौ ने जानकारी दी थी कि पीडिता आ गई है तो वह देखने गया था तो वहाँ पीडित मिली थी और हाकिम भी पुलिस ने बंद किया था और पुलिस ने वहाँ पर सामान भी दिखाया था और पीडिता ने उसे बताया था कि हाकिम उसे भिण्ड और भिण्ड से दिल्ली ले गया था और दिल्ली में कमरे में रखा था। इस संबंध में साक्षी मुरारीलाल जाटव अ0सा0 6 जो कि अपहृता का पिता है के द्वारा घटना के समय उसकी लडकी की उम्र 16 वर्ष होना और उसे हाकिम के द्वारा बहलाफुसलाकर ले जाना और जाने के तीन दिन बाद थाने में बापस आना जिसकी कि गोहद चौराहा थाने में बरामदगी होना और लडकी उसे सुपुर्दगी पर प्राप्त होना बताया है और दस्तयावी पंचनामा प्र.पी. 3 तथा सुपुर्दगी पंचनामा प्र.पी. 4 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

13. उपरोक्त संबंध में घटना की अभियोक्त्री अ0सा0 1 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि घटना के समय वह 11वीं कक्षा में पढती थी और 16 साल की उम्र की थी। साक्षिया के द्वारा कथन में हाकिम के द्वारा उसे माटरसाइकिल से भिण्ड ले जाना और भिण्ड से इटावा ले जाना और इटावा से उसे दिल्ली ले जाना बताया है जो कि उसके अनुसार आरोपी उसे जबरदस्ती ले गया था और दिल्ली में हाकिम ने उसे कमरे में रखा था और उसके साथ बुरा काम करना उसके द्वारा बताया गया है और दिल्ली से बापस इटावा के रास्ते में हाकिम की मौसी का गांव पडता है वहाँ ले जाना बताया है।

14. अभियोक्त्री के द्वारा यह भी बताया गया है कि हाकिम की मौसी के उस गांव में हाकिम के साथ उसके पिता गोकुल व चाचा करनसिंह भी आ गए थे। वहाँ पर हाकिम के पिता गोकुल और उसके चाचा करनसिंह ने उससे बहुत सारे लेटर लिखवाए थे। लेटर में उससे यह बातें लिखवाई थी कि वह 'ईश्वर' को साक्षी मानकर हाकिम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है और हाकिम ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, उसे साथ जो भी हुआ है वह उसकी राय में हुआ है। हाकिम ने उससे 2-3 घण्टे तक लेटर लिखवाए थे। अभियोक्त्री के द्वारा यह भी बताया गया है कि आरोपी गोकुल और करनसिंह ने उसकी आवाज टेप कराई थी कि वह हाकिम को बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है और उसके साथ जो भी काम हुआ है वह उसकी राजी मर्जी से हुआ है और इसके

अतिरिक्त हाकिम की मौसी ने उसे दुल्हन के कपड़े पहनाए थे तथा विछिया पहनाए और मांग भरी थी जो कि उसे जबरदस्ती धमकाकर पहनाए गए थे। हाकिम ने इटावा से उसे बस में बिठा दिया और वह इटावा ही रुक गया था। वह रात को एक बजे गोहद चौराह पर उतरी थी और थाने के पास चिल्लाई थी तो पुलिस आ गई थी तब पुलिस ने उसकी सहायता की और मौ पुलिस को बुला लिया था। मौ में पुलिस ने उसके कथन लिए थे और उसने पुलिस को सारी बातें बताई थी। उसका मेडीकल परीक्षण भी हुआ था। न्यायालय में भी उसने वयान दिये थे। साक्षी के अनुसार पुलिस ने उस समय उससे सामान की जप्ती भी की थी, जिसमें उसकी साड़ी, एक सोल, बिछिया एक ड्रामवॉक्स, रजिस्टर, एक तख्ता जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 1 बनाया था।

15. अभियोजन साक्षी सी.एल. गोयल अ०सा० 5 प्राचार्य शा०क०उ०मा० विद्यालय मौ जिनके द्वारा घटना के समय पीडिता की उम्र के संबंध में उसके स्कूल में प्रवेश के संबंध में भर्ती रजिस्टर को प्रामाणित किया गया है। स्कूल भर्ती रजिस्टर के अनुसार उसकी जन्मतिथि दिनांक 05.05.1992 दर्ज होना बताया है। जो कि भर्ती रजिस्टर प्र.पी. 6 जिसकी छायाप्रति प्र. पी. 6सी होना बताया है।

16. अभियोजन साक्षी अमरनाथ वर्मा अ०सा० 7 जिनके द्वारा दिनांक 24.01.2009 को थाना प्रभारी थाना मौ के पद पर पदस्थ दौरान फरियादी मनोज कुमार गोयल की रिपोर्ट पर से हाकिम पुत्र गोकुल के विरुद्ध अप०क्र० 19/09 धारा 363, 366 भा०द०वि० का पंजीबद्ध किया था जो प्र.पी. 2 है जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी मनोज गोयल एवं छविराम के कथन लेखबद्ध करना बताया है। प्रकरण की अग्रिम विवेचना प्र०आ० राधाकिशन के द्वारा की गई है जिनकी कि वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है जो कि साक्षी अमरनाथ वर्मा के अधीनस्थ रहकर कार्य करने से उनके हस्ताक्षरों को पहचानते हैं। उक्त साक्षी के अनुसार दिनांक 17.01.2009 को अपहृता का दस्तयावी पंचनामा प्र.पी. 3 बनाना एवं उसका सुपुर्दगी पंचनामा प्र.पी. 4 तैयार करना एवं अपहृता का कथन लेखबद्ध कर उसे पेश करने पर कुछ वस्तुओं की जप्ती कर जप्ती पत्रक तैयार करना बताया है जिनके सी से सी एवं ए से ए एवं सी से सी भागों पर राधाकिशन के हस्ताक्षर हैं एवं दिनांक 30.01.09 को आरक्षक ठाकुरदास कुशवाह के पेश करने पर हाकिमसिंह व पीडिता के कपड़ों की शीलबंद पोटली एवं प्यूबिक हेयर, स्लाइड जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 7,8 तैयार जिसके ए से ए भागों पर प्र०आ० राधाकिशन के हस्ताक्षर हैं।

17. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य जो कि पीडिता के पिता मुरारीलाल अ०सा० 6 के द्वारा पीडिता की उम्र के संबंध में किए गए कथन कि घटना के

समय वह 16 साल की थी जो कि विद्यालय के भर्ती रजिस्टर प्र.पी. 6 से भी पुष्ट है एवं इस बिन्दु पर पीडिता के कथन से भी घटना के समय वह 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग होना स्पष्ट होता है। घटना के समय पीडिता अपने पिता के संरक्षण में रहती थी यह भी साक्ष्य से स्पष्ट है। घटना की अभियोक्त्री/पीडिता के कथनों में स्पष्ट रूप से हाकिमसिंह के द्वारा उसका व्यपहरण करने और उसे अयुक्त संभोग के लिए तथा विवाह करने के लिए विवश या विलुब्ध करने और हाकिम के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने के संबंध में साक्ष्य आई है। यद्यपि हाकिम सिंह जो कि बाल अपचारी घोषित होने से किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड विचारण हेतु भेजा जा चुका है, वर्तमान प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर उसके द्वारा अपराध कारित करने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, किन्तु वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण जिन पर कि हाकिम को वैध दण्ड से प्रतिक्षादित करने हेतु साक्ष्य का बिलोपन करने के संबंध में आरोप है उनके द्वारा कोई अपराध कारित किए जाने के संबंध में ही विचार किया जा रहा है।

18. अभियोजन के द्वारा वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपीगण के संबंध में मुख्य रूप से यह बताया जा रहा है कि इटावा के रास्ते में जहाँ पर कि हाकिम की मौसी रामकुंवर का गांव पडता है, वहाँ पर अभियोक्त्री को ले जाया गया था और वहीं पर हाकिम के पिता गोकुल और चाचा करनसिंह आ गए थे और वहाँ पर उक्त लोगों ने उससे बहुत सारे लेटर लिखवाए थे और उसकी आवाज टेप कराई गई थी। इस संबंध में व्यपहृता अ0सा0 1 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस संबंध में बताया गया है जो कि पूर्व में उल्लेखित किया जा चुका है।

19. उपरोक्त संबंध में अभियोक्त्री के द्वारा किये गए कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में वह बता रही है कि आरोपी गोकुल और करनसिंह ने उससे 2-3 फिट की दूरी पर बैठकर लेटर लिखवाए थे जो कि बंदूक की धमकी देकर जबरदस्ती लेटर लिखवाए गए थे। उक्त लोगों ने करनसिंह और गोकुलसिंह ने धमकी देकर स्वयं बोलकर लेटर लिखवाए थे और उन्होंने जो बोला था वही उसने लेटर में लिखा था। उसे याद नहीं है कि उससे कुल कितने लेटर लिखवाए गए थे। कंडिका 18 में स्वतः में बताई है कि उससे बहुत सारे लेटर लिखाए गए थे। कंडिका 22 में प्र.डी. 1 लगायत प्र.डी. 6 के लेटर उसके हाथ के लिखे होना बताई है। यद्यपि वह उक्त लेटर उसे जबरदस्ती लिखवाने के संबंध में अभिकथित कर रही है और कंडिका 27 में प्र.डी. 8 लगायत प्र.डी. 18 के लेटर उसकी हस्तलिपि में होना स्वीकार की है। साक्षिया के द्वारा पुलिस कथन प्र.डी. 7 जिसमें कि उसे धमकी देकर एक एक कर 2-3 पत्र लिखवाए जाने न बताना अभिकथित की है। इस प्रकार

इस बिन्दु पर साक्षिया के कथन में लोप आया है। कंडिका 25 में बताई है कि उसने पुलिस को दिए हुए लेटरों के अलावा अन्य कोई लेटर नहीं लिखे थे। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पीडिता के द्वारा पुलिस को कोई लेटर दिया गया हो जो लेटर पुलिस के द्वारा जप्त किये गए हों ऐसा कहीं भी दर्शित नहीं होता है। पुलिस के द्वारा पीडिता से उसकी दस्तयावी होने पर जो जप्ती पत्रक प्र.पी. 1 का तैयार किया गया है उसमें भी कहीं भी उसके द्वारा पुलिस को आरोपीगण के द्वारा लिखवाए गए लेटर देना या उनकी जप्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

20. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जो भी लेटर पेश किए गए हैं वह बचाव पक्ष के द्वारा पेश कर अभियोक्त्री से उनके संबंध में पूछा गया है जिसमें कि प्र.डी. 1 के पत्र के संबंध में उसमें जो दिल बना है और उसमें एच.एस. लिखा है वह उसके हाथ का लेख होना और उसमें आई लव यू हेप्पी न्यू ईयर भी उसके हाथ का लिखा होना स्वीकार किया है और प्र.डी. 1 लगायत प्र.डी 6 के पत्रों को उसके हस्तलिपि में होना और उसमें लिखी गई इबारते उसके द्वारा लिखी जाने को भी उसके द्वारा स्वीकार किया गया है। यद्यपि साक्षिया यह अभिकथित कर रही है कि उससे जबरदस्ती धमकी देकर लेटर लिखवा लिए गए थे। हाकिम को घटना के पहले किसी प्रकार के लेटर भेजने से इन्कार की है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 26 में बताई है कि जिस जगह पर धमकी देकर उससे लेटर लिखवाए जाना बता रही है उस जगह पर 4-5 लोग बैठे हुए थे। उक्त लोगों ने उसे कोई बंदूक लगाकर धमकी नहीं दी थी। आरोपीगण ने यह नहीं देखा कि पत्र में क्या लिख हुआ है और उससे भी यह नहीं पूछा कि पत्रों में क्या लिखा है। जब पत्र लिखे थे उस समय वह बंधी नहीं थी स्वतंत्र बैठकर उसने पत्र लेखे थे। जहाँ उसे पत्र लिखवाना वह बता रही है वहाँ वह रात को नहीं रुकी थी, केवल आधा एक घण्टा रुकी थी। प्रतिपरीक्षण कंडिका 29 के अंत में बताई है कि वह ठीक से नहीं पता कि जिन लोगों ने उसे धमकी दी थी उनमें हाजिर अदालत आरोपीगण थे या नहीं।

21. इस प्रकार पत्र लिखवाए जाने के संबंध में वह अपने कथनों को बार बार परिवर्तित कर रही है जो कि उसके समग्र साक्ष्य कथन से स्पष्ट होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जो प्र.डी. 1 से प्र.डी. 6 के पत्र तथा प्र.डी. 8 से प्र.डी. 18 के पत्र प्रस्तुत हैं जो कि उसकी ही हस्तलिपि में होना अभियोक्त्री स्वीकार की है। उक्त पत्र प्र.डी. 1 लगायत प्र.डी. 6 एवं प्र.डी. 8 लगायत प्र.डी. 18 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वह एक ही स्याही में नहीं लिखी है, बल्कि अलग अलग स्याहियों में लिखी है और लेटर लिखाने के लिए जो पन्ने प्रयुक्त किए गए हैं वह भी एक ही रजिस्टर या कॉपी के न होकर अलग अलग हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्र.डी. 5 में दिनांक 05.10.2008 और प्र.डी. 6 में दिनांक 06.12.

2008 की तिथियों का उल्लेख किया गया है, जबकि घटना दिनांक 23.01.2009 की होनी बताई गई तथा प्र.डी. 1 के लेटर में वर्ष 2009 के नई साल की बधाई के संबंध में लेटर होना स्पष्ट होता है। उक्त लेटरों में जो इवारतें लिखी गई हैं और जो भाव व्यक्त किए गए हैं उनको देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उक्त इवारतें किसी व्यक्ति को जबरदस्ती धमकी देकर के लिखवाई गई हों, बल्कि उन पत्रों में मन के भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए एवं सोच समझकर उक्त लेटर लिखे जाने दर्शित होते हैं। यह ऐसा भी संभव नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति को आधा एक घण्टा बैठाकर के जबरदस्ती इस प्रकार के पत्र लिखवाए जा सके। ऐसी दशा में उक्त पत्रों को देखने एवं पढ़ने से प्रारंभिक रूप से ही ऐसा नहीं माना जा सकता है कि उक्त पत्र जबरदस्ती लिखवाए गए हो।

22. प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण की विवेचना के दौरान भी वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपीगण के विरुद्ध कि वह भी अपराध में संलग्न रहे हैं कोई साक्ष्य नहीं आई है और इस बिन्दु पर कि तत्कालीन थाना प्रभारी मौ अमरनाथ वर्मा अ0सा0 7 जिन्होंने कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 लेखबद्ध की है और पीडिता व साक्षी मनोज के कथन लेखबद्ध किये गए हैं, इसके अतिरिक्त प्रकरण के विवेचना अधिकारी राधाकिशन के द्वारा की गई कार्यवाहियाँ जिसमें कि दस्तयावी पंचनामा प्र.पी. 3, सुपुर्दगी पंचनामा प्र.पी. 4, जप्ती पत्रक प्र.पी. 1, 7, 8 से संबंधित कार्यवाहियाँ तत्कालीन प्रधान आरक्षक राधाकिशन जिनकी कि मृत्यु होने के कारण उनके हस्ताक्षर की पहचान भी उनके द्वारा की गई है। उक्त साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उनकी विवेचना के दौरान गोकुलसिंह, करनसिंह व रामकुंवर के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं आई थी। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्र.पी. 1 के जप्ती पत्रक जो कि पीडिता से उसकी दस्तयावी के उपरांत सर्वप्रथम किया जाना बताया गया है। उक्त जप्ती पत्रक में कहीं भी पीडिता के द्वारा लेटर देना अथवा लेटर की जप्ती किया जाना दर्शित नहीं होता है। निश्चित तौर से यदि पीडिता के पास उस समय कोई लेटर जो कि उसके द्वारा लिखे हुए थे पाए गए थे किन कारणों से उनकी जप्ती नहीं की गई यह भी विचारणीय है।

23. इस प्रकार आरोपीगण के द्वारा अपहृता से जबरदस्ती लेटर लिखवाए जाने के संबंध में अपहृता की मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी सम्पुष्टिकारक साक्ष्य मौजूद नहीं है। अभियोक्त्री के द्वारा इस संबंध में दी गई साक्ष्य उसके प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथनों एवं प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों में विश्वासनीय मानते हुए आरोपीगण के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता मानी जानी कदापि सुरक्षित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी लेटर आदि की जप्ती अपहृता से या अन्य कहीं से विवेचना के दौरान नहीं की गई है। जहाँ तक

धमकी देने के संबंध में जो कि कट्टा दिखाकर धमकी देना बताया जा रहा है इस संबंध में भी कोई कट्टा आदि की जप्ती नहीं हुई है, जबकि तलाशी लेकर तलाशी पंचनामा बनाया गया है, जिसमें कि कोई भी वस्तु जप्त न होनी दर्शाई गई है। इस प्रकार किसी अन्य साक्ष्य से उक्त तथ्य की सम्पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।

24. बचाव पक्ष अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क में यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में हाकिमसिंह जिसके द्वारा कि अपराध कारित किया जाना बताया जा रहा है एवं जिसके विचारण के संबंध में वर्तमान प्रकरण में साक्ष्य लेखबद्ध की गई है वह बाल अपचारी घोषित किया गया है और उसे विचारण हेतु किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड भेजा जा चुका है। ऐसी दशा में जिस पर कि व्यपहृता का व्यपहरण करने एवं उसे अयुक्त संभोग करने व विवाह करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के संबंध में आरोप है उसका विचारण ही नहीं हो रहा है तो उस आधार पर प्रकरण में जो साक्ष्य आई है उससे वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

25. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में हाकिमसिंह जिस पर कि पीडिता का व्यपहरण करने और उसे विवाह करने एवं अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के संबंध में व्यपहरण कर और दुष्प्रेरित करने के संबंध में आरोप लगाया गया है वह बाल अपचारी घोषित किया जा चुका है, उसका विचारण इस न्यायालय में नहीं चल रहा है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि हाकिम का विचारण इस न्यायालय में नहीं चल रहा है यह आधार वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण को आरोपी से उन्मोचित किए जाने व उन्हें दोषमुक्त किये जाने का आधार नहीं हो सकता है। इस बिन्दु पर **1993 सी.आर.एल.जे. 668(एस.सी.)** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी अवधारित किया गया है कि किसी आरोप से कोई व्यक्ति दोषमुक्त हो चुका हो यह धारा 201 भा.द.वि. के अंतर्गत किसी को दोषमुक्त करने का कोई आधार नहीं हो सकता है और मुख्य अपराधी पर किसी व्यक्ति की दोषमुक्त धारा 201 भा.द.वि. के अंतर्गत दोषसिद्ध करने पर कोई बांधा नहीं हो सकती है।

26. उक्त परिप्रेक्ष्य में यद्यपि घटना के संबंध में जो मुख्य आरोपी है वह बाल अपचारी घोषित हो चुका है, किन्तु मात्र इस आधार पर सहआरोपीगण को दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता है, इस संबंध में प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना उचित होगा। प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है, जिसका कि पूर्व में विवेचन एवं विश्लेषण किया जा चुका है, के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण के द्वारा यह जानते हुए अथवा यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि

हाकिम के द्वारा अपराध किया गया है उस अपराध की साक्ष्य को विलोपित करने के आशय से कोई कृत्य किया जाना जिससे कि हाकिम को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित किया जा सके का तथ्य प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

27. अतः वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण गोकुलसिंह, करनसिंह व रामकुंवर के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित न पाते हुए उन्हें धारा 201 भा०सं०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

28. प्रकरण में जप्तशुदा वस्तुएं के संबंध में जो कि बाल अपचारी घोषित होने से हाकिमसिंह का विचारण किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष चलना बताया गया है उससे संबंधित होने से उसके संबंध में कोई आदेश किया जाना उचित नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला—भिण्ड म०प्र०

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला—भिण्ड म०प्र०

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)